

**विनियोग संख्या 76 - राष्ट्रपति का कर्मचारीवृंद, गृह और भत्ते**  
**APPROPRIATION No. 76 – STAFF, HOUSEHOLD AND ALLOWANCES OF THE PRESIDENT**

		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving - (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
प्रभारित -	Charged –			
मूल	Original 27,67,00	29,81,00	29,49,37	-31,63
पूरक	Supplementary 2,14,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. विनियोग में, कुल बचतें (₹ 31.63 लाख) नवम्बर, 2011 में प्राप्त किए गए ₹ 214.00 लाख के पूरक विनियोग का 15 प्रतिशत और कुल स्वीकृत विनियोग का 1 प्रतिशत थीं।

1. In the appropriation, the overall savings (₹ 31.63 lakhs) constituted 15 percent of the supplementary appropriation of ₹ 214.00 lakhs obtained in November, 2011 and 1 percent of the total sanctioned appropriation.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head:-

				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2012"	Major Head "2012"			
राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/ राज्यपाल/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	President/Vice President/ Governor/Administrator of Union Territories			
मू.	O. 2767.00	2981.00	2949.37	-31.63
पू.	S. 214.00			

(I) "राष्ट्रपति" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(I) Supplementary grant obtained under "President" remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) “सचिवालय” - ₹ 955.10 लाख के मूल विनियोग को ₹100.00 लाख का पूरक विनियोग प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1055.10 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, ₹12.66 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(खा) “गृह स्थापना” - ₹1340.90 लाख के मूल विनियोग को ₹ 71.00 लाख का पूरक विनियोग प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1411.90 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, ₹23.78 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुईं।

(A) “Secretariat” - the original appropriation of ₹955.10 lakhs was augmented to ₹1055.10 lakhs by obtaining supplementary appropriation of ₹100.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹12.66 lakhs; and

(B) “Household Establishment” – the original appropriation of ₹1340.90 lakhs was augmented to ₹1411.90 lakhs by obtaining supplementary appropriation of ₹71.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹23.78 lakhs.

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts.

**अनुदान संख्या 77 - लोक सभा**  
**GRANT No. 77 – LOK SABHA**

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
प्रभारित -	Charged-	87,00	54,27	-32,73
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			23,00
स्वीकृत -	Voted -			
मूल	Original 399,13,00	416,13,00	415,03,56	-1,09,44
पूरक	Supplementary 17,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			66,29

**टीका और टिप्पणियां**

**Notes and comments**

1. अनुदान के स्वीकृत अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई :-

1. In the voted portion of the grant, savings occurred under the following major head:-

				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2011"	Major Head "2011"			
संसद/राज्य/संघ राज्य	Parliament/State/Union			
क्षेत्र विधानमंडल	Territory Legislatures			
मू.	O. 39913.00	41546.71	41503.56	-43.15
पू.	S. 1700.00			
पु.	R. - 66.29			

(I) "संसद - लोक सभा सचिवालय - सचिवालय" के अंतर्गत ₹16975.35 लाख के मूल प्रावधान को नवम्बर, 2011 और मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹1700.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹18675.35 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, विदेश

(I) Under "Parliament - Lok Sabha Secretariat – Secretariat" – the original provision of ₹16975.35 lakhs was augmented to ₹18675.35 lakhs by obtaining supplementary grant ₹1700.00 lakhs in November, 2011

दौरों तथा कार्यालयी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और अनुकंपा निधि में से सहायता के लिए कम दावे प्राप्त होने के कारण ₹121.80 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

and March, 2012 which, however, remained unutilized to the extent of ₹121.80 lakhs - due to requirement of less funds towards foreign travel and office expenses and receipt of less claims for assistance out of compassionate fund.

---

**अनुदान संख्या 78 - राज्य सभा**  
**GRANT No. 78 - RAJYA SABHA**

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -  (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
प्रभारित -	Charged-			
मूल	Original	82,00		
			83,00	-1,50
पूरक	Supplementary	1,00	81,50	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत -	Voted -			
मूल	Original	223,53,00		
			256,54,00	-36,76,51
पूरक	Supplementary	33,01,00	219,77,49	
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			27,50,00

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. अनुदान के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹3676.51 लाख) मार्च, 2012 में प्राप्त किए गए ₹3301.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत थीं।

1. In the voted portion of the grant, the overall savings (₹3676.51 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹3301.00 lakhs obtained in March, 2012 and constituted 14 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)

(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2011"	Major Head "2011"			
संसद/राज्य/संघ	Parliament/State/Union			
राज्य क्षेत्र के विधानमंडल	Territory Legislatures			
मू.	O.	22353.00		
पू.	S.	3301.00	22904.00	-926.51
पु.	R.	-2750.00		

(I) ₹1.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) “संसद - राज्य सभा सचिवालय - राज्य सभा दूरदर्शन चैनल” के अंतर्गत ₹3775.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1311.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹5086.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹3413.18 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं की वजह से राज्य सभा दूरदर्शन चैनल के लिए स्टूडियो के निर्माण में विलंब होने और कम संख्या में नियुक्तियों को किए जाने के कारण हुई।

(III) “संसद - राज्य सभा - सदस्य” के अंतर्गत ₹10051.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹800.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹10851.00 लाख कर दिया गया था, जो तथापि, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के कम बिलों के प्राप्त होने और रेल मंत्रालय तथा भूतपूर्व संसद सदस्यों से कम डेबिट दावों के प्राप्त होने के कारण ₹191.63 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilised under one head.

(II) Under “Parliament - Rajya Sabha Secretariat - Rajya Sabha Television Channel (RSTV)”- the original provision of ₹3775.00 lakhs was augmented to ₹5086.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1311.00 lakhs. However, there was a saving of ₹3413.18 lakhs (including supplementary grant) - due to delay in construction of Studio for Rajya Sabha Television Channel owing to procedural formalities and less number of appointments.

(III) Under “Parliament- Rajya Sabha- Members” - the original provision of ₹10051.00 lakhs was augmented to ₹10851.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹800.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹191.63 lakhs - due to less receipt of MTNL and NDMC Bills and debit claims from the Ministry of Railways and Ex-Members of Parliament.

**विनियोग संख्या 79 - संघ लोक सेवा आयोग**  
**APPROPRIATION No.79 - UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION**

		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -  (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
प्रभारित -	Charged-	146,58,00	144,76,67	-1,81,33
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1,68,00

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. विनियोग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

1. In the appropriation, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)

(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2051"	Major Head "2051"			
लोक सेवा आयोग	Public Service Commission			
मू.	O.	14658.00		
			14490.00	14476.67
पु.	R.	-168.00		-13.33

(I) "संघ लोक सेवा आयोग - प्रशासनिक व्यय" के अंतर्गत ₹142.53 लाख की बचत (₹8066.00 लाख के स्वीकृत विनियोग की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने और कम संख्या में दौरे किए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Union Public Service Commission - Administrative Expenditure" - saving of ₹142.53 lakhs (against the sanctioned appropriation of ₹8066.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, reduction of provision at revised estimates stage and less number of tours undertaken.

2. ₹723.96 लाख की राशि वर्ष के दौरान आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के शुल्क के रूप में वसूल की गई जिसे व्यय में कमी के रूप में नहीं लिया जाना था और इसे भारत की समेकित निधि में प्राप्ति के रूप में लिया गया।

2. An amount of ₹723.96 lakhs was realised during the year as fees for examination conducted by the Commission which was not to be taken as reduction of expenditure and was taken as receipt in the Consolidated Fund of India.

**अनुदान संख्या 80 - उप-राष्ट्रपति का सचिवालय**  
**GRANT No. 80- SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत -	Voted –	2,99,00	2,79,71	-19,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			19,26

---